अध्याय ५

[ख],[निगम] और उसके प्राधिकारियों के कर्त्तव्य और अधिकार

११४. [१][निगम] के अनिवार्य कर्त्तव्य—[१][निगम] का यह अनिवार्य कर्त्तव्य होगा कि वह निम्नांकित विषयों में से प्रत्येक के लिए किसी भी ऐसे साधन या उपाय द्वारा, जिसका प्रयोग करने या जिसे ग्रहण करने के लिए वह विधिक रूप से सक्षम है, समुचित और पर्याप्त व्यवस्था करे :

(१) उन स्थानों पर, जहाँ प्राकृतिक सीमा सूचक चिन्ह न हों, इस प्रकार के और उस स्थल पर, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे ; पर्याप्त संख्या में ऐसे सीमा सूचक चिन्ह खड़े करना, जिनके द्वारा नगर की सीमाओं में किसी परिवर्तन का निर्धारण होना हो ;

(२) [१][निगम] में निहित सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के नाम रखना या उनकी संख्या निश्चित करना या भू–गृहादि पर संख्या लिखवाना ;

(३) मल इत्यादि (sewage), दुर्गन्धयुक्त पदार्थ (offensive matter) और कूड़े–करकट को एकत्रित कराना और हटवाना तथा उसके उपयोग और निस्तारण की व्यवस्था करना, जिसमें फार्म या फैक्ट्री स्थापित करना और उसका संधारण भी सम्मिलित है ;

(४) नगर की समस्त सार्वजनिक सड़कों और स्थानों की पानी से धुलाई, बुहारी द्वारा उनकी सफाई तथा उन्हें स्वच्छ रखना और वहाँ से सारा कूड़ा–करकट हटवाना ;

(५) नालियों और जल–निस्सारण निर्माण–कार्यों, सार्वजनिक शौचालयों, नाबदानों (water closets), मूत्रालयों तथा ऐसी ही अन्य सुविधाओं का निर्माण, उसका संधारण और उनकी सफाई ;

(६) [१][निगम] द्वारा अनुमोदित सामान्य व्यवस्था के अनुसार भू–गृहादि के मल (sewage) इत्यादि को प्राप्त करने और उसे [१][निगम] के नियंत्रण के अधीन नालियों को पहुँचाने के उद्देश्य से भू–गृहादि पर या उसके प्रयोग के लिए पात्रों (receptacles), संधायनों, पाइपों तथा अन्य उपकरणों का सम्भरण (supply) और निर्माण तथा संधारण ;

(७) समस्त [ख२][निगम] जलकलों का प्रबन्ध तथा संधारण और ऐसे नये कार्यों का निर्माण या अर्जन (acquisition), जो [ख३][घरेलु, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये] पर्याप्त जल–सम्भरण (supply water) के लिए आवश्यक हों ;

(८) मनुष्यों के उपयोग के लिए प्रयुक्त होने वाले जल को दूषित (polluted) न होने देना और दूषित जल के ऐसे उपभोग को रोकना ;

(९) [१][निगम] में निहित सार्वजनिक सड़कों, बाजारों तथा सार्वजनिक भवनों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में रोशनी का प्रबन्ध करना ;

[ख४][(९–क) पार्किंग स्थलों, बस स्टापों और जन सुविधाओं का निर्माण और उसका संधारण ;]

(१०) सार्वजनिक चिकित्सालयों की, जिनमें संख्१,क्रामक या संसर्गजन्य रोगों से ग्रस्त अथवा इस प्रकार संदिग्ध व्यक्तियों को अलग रख कर उनकी चिकित्सा करने के चिकित्सालय भी सम्मिलित हैं, स्थापना, उनका संधारण या उनकी सहायता करना तथा जनता को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें देने के लिए अन्य आवश्यक साधनों की व्यवस्था करना ;

(११) संक्रामक, संसर्गजन्य तथा भयानक रोगों की रोकथाम करना और उनके प्रसार को नियंत्रित करना ;

(१२) जलान्तक रोगों (antirabic diseases) की चिकित्सा की व्यवस्था करना ;

(१३) बीमारों को ले जाने वाली गाड़ियों, (ambulance service) का संधारण ;

(१४) सार्वजनिक रूप से टीके लगाने (public vaccination) की पद्धति की स्थापना तथा उसका संधारण ;

(१५) प्रमुख आँकड़ों (statistics), जिसमें जन्म–मरण के आँकड़े भी हैं, का पंजीयन (registrations) ;

[१][(१६) मातृत्व केन्द्रों और शिशु कल्याण एवं सन्तति निग्रह सदनों की स्थापना, उनका संधारण तथा उनकी सहायता करना और जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण और छोटे परिवार के मानक का उन्नयन ;]

(१७) रोगों का या खाद्य पदार्थों के मिलावट का पता लगाने या सार्वजनिक स्वास्थ्य से सम्बद्ध खोज–कार्यों के निमित्त पानी, खाद्य पदार्थ या भेषजों की परीक्षा या विश्लेषक के लिए रासायनिक या जीवाणु विज्ञान सम्बन्धी प्रयोगशालाओं (bacteriological laboratories localities) की व्यवस्था, उनका संधारण अथवा प्रबन्ध;

(१८) अस्वास्थ्यकर स्थानों का पुनरुद्धार (reclamation), हानिकर (noxious), उद्भज (vegetation) का हटाया जाना और सामान्यतः समस्त अपदूषणों (nuisance) का समाप्त किया जाना ;

(१९) आपत्तिजनक (offensive) तथा खतरनाक किस्म के व्यापारों, आजीविकों (callings) तथा कार्यों, जिनके अन्तर्गत वेश्यावृत्ति भी है, का विनियमन तथा उनका समाप्त किया जाना ;

(२०) मृतकों के शव–निस्तारण के स्थानों का संधारण, उन्हें नियत करना तथा उनका विनियमन और उक्त प्रयोजनों के लिए तथा ऐसे शवों का निस्तारण करने के लिए, जिनका कोई न हो, नये स्थानों की व्यवस्था करना या किसी दूसरी संस्था द्वारा उक्त उद्देश्यों के लिए की गई व्यवस्थाओं को यथाशक्ति सहायता देना ;

(२१) सार्वजनिक बाजारों और [१][वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं] का निर्माण तथा संधारण एवं समस्त बाजारों और वधशालाओं का विनियमन ;

(२२) खतरनाक भवनों तथा स्थानों को निरापद (secure) बनाना या हटाना ;

(२३) पानी निकालने के बम्बों का संधारण तथा आग लगने पर ऐसी सहायता पहुँचाना, जिसके लिए राज्य सरकार सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा समय–समय पर आदेश दे। इस सहायता में आग लगने पर उसे बुझाने के लिए दमकलों का संधारण या प्रबन्ध और जन–धन की रक्षा भी सम्मिलित है ;

(24) सड़कों, पुलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में या पर, उपस्थित (obstruction) अवरोधों तथा बाहर निकाले हुये अनियमित भागों (projections) को हटाना ;

(२५) प्रारम्भिक शिक्षा, जिसके अन्तर्गत शिशु शिक्षा (nursery education) भी है, के लिए स्कूलों की स्थापना, उनका संधारण तथा उनकी सहायता करना और उनके लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना ;

(२६) शरीर संवर्द्धन सम्बन्धी संस्थाओं की स्थापना या उनका संधारण करना या उन्हें सहायता देना ;

(२७) पशु–चिकित्सकों या संधारण या उनके संधारण के लिए अंशदान देना ;

(२८) कांजी हौजों (cattlepounds) के निर्माण या अर्जन (acquisition) और संधारण ;

(२९) सार्वजनिक सड़कों, पुलों, उपमार्गों, पुलियों, पुलों की ऊँचाई सड़कों (cause-ways) तथा अन्य ऐसे ही साधनों का निर्माण, संधारण और उनमें परिवर्तन या सुधार करना ;

(३०) सड़कों के किनारों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण करना तथा उनका संधारण ;

(३१) यातायात (traffic) का विनियमन तथा यातायात चिन्हों (traffic signs) की व्यवस्था करना ;

(३२) [ख५] [निगम] के सफाई कर्मचारियों तथा सब प्रकार के श्रमिक वर्गों के लोगों की, उनके रहने के लिए क्वार्टरों का निर्माण तथा संधारण करके अथवा ऋण देकर निवास–व्यवस्था में सहायता करना ;

(३३) नगर नियोजन तथा सुधार, जिसमें गन्दी बस्तियों की सफाई, गृह–निर्माण योजनाओं को तैयार करना तथा उन्हें कार्यान्वित करना और नयी सड़कों का विन्यास भी सम्मिलित हैं ;

[ख६] (३४) [1][निगम] में निहित अथवा उसके प्रबन्ध में सौंपी गयी सम्पत्ति का संधारण तथा उसके मूल्य में विकास करना ;

[2][(३४–क) समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अन्तर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों का संरक्षण ;

(३४–ख) सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक पहलुओं की अभिवृद्धि ;

(३४–ग) कांजी हाउस का निर्माण और संधारण और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण ;]

(३५) [1][निगम] कार्यालय, समस्त सार्वजनिक स्मारकों, खुलें स्थानों तथा अन्य [1][निगम] में निहित सम्पत्ति का संधारण;

(३६) एक बुलेटिन प्रकाशित करना, जिसमें [1][निगम] तथा उसकी समितियों की कार्यवाहियों (proceedings) या उन कार्यवाहियों के सार तथा [1][निगम] के कार्य–कलापों (activities) की अन्य सूचनायें दी गयी हों ;

(३७) सरकारी पत्रों पर तत्काल ध्यान देना और ऐसे विवरण–पत्रों (return statements) तथा ऐसी रिपोर्टों को तैयार और प्रस्तुत करना, जिन्हें प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार [1][निगम] को आदेश दे ; और

(३८) इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन आरोपित किसी आभार (obligation) की पूर्ति करना ;

[2][(३९) गन्दी बस्ती का सुधार और उन्नयन ;

(४०) नगरीय निर्धनता कम करना ;

(४१) नगरीय सुख–सुविधाओं तथा सुविधाओं जैसे कि पार्क, उद्यान और खेल के मैदानों की व्यवस्था करना।]

११५. [1][निगम] के स्वविवेकानुसार (discretionary) कर्त्तव्य—[1][निगम] निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिए समय–समय पर स्वविवेकानुसार पूर्णतः या अंशतः व्यवस्था कर सकता है ;

(१) नगर के भीतर या बाहर, ऐसे व्यक्तियों की देख–भाल के लिए, जो अशक्त (infirm), रुग्ण या असाध्य रूप से रोगग्रस्त हों या अंधे, बहरे, गूँगे या अन्य रूप से असमर्थ (disabled) व्यक्तियों या सुविधाहीन (handicapped) बच्चों की

देखभाल तथा प्रशिक्षण के लिए संस्थाओं का, जिनमें पागलखाने, कुष्ठाश्रम, अनाथालय तथा महिला–सेवा आश्रम सम्मिलित हैं, संगठन, संधारण अथवा प्रबन्ध करना ;

(२) गर्भवती या दूध पिलाने वाली (nursing) माताओं या शिशुओं या स्कूली बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करना ;

(३) तैरने के जल–कुण्ड (pools), कपड़ा धोने के सार्वजनिक घर (wash houses), स्नानगृह तथा अन्य संस्थाएँ जो नदी के किनारों पर स्नान घाटों के विकास तथा निर्माण के लिए हों ;

(४) नगर–निवासियों के लाभार्थ दूध या दूध से बने पदार्थों का संभरण, वितरण और वैज्ञानिक निर्माण–क्रिया (Processing) के निमित्त नगर में या उसके बाहर दुग्धशालाएँ या फार्म स्थापित करना ;

(५) सार्वजनिक सड़कों या स्थानों में मनुष्यों के लिए पीने के पानी के फौव्वारे (drinking fountain) अथवा प्याऊ के पानी के बम्बों (standposts) का तथा पशुओं के लिए चरहियों (water troughs) का निर्माण तथा संधारण ;

(६) संगीत तथा अन्य ललित कलाओं (fine arts) को प्रोत्साहन देना तथा सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक समागम–स्थलों पर संगीत की व्यवस्था करना ;

(७) नगर के भीतर तथा बाहर स्थित शिक्षा संबंधी तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान देना ;

(८) [ख७][* * *] मनोविनोद के मैदानों (recreation grounds), मूर्ति–स्थापना तथा नगर को सुन्दर बनाने की व्यवस्था करना ;

(९) प्रदर्शनी, व्यायाम प्रदर्शन (athletics) या खेलकूद के समारोहों का आयोजन ;

(१०) नगर में ठहराने की जगहों (lodging house), शिविर–स्थलों (camping grounds) और विश्राम–गृहों का विनियमन ;

(११) प्रेक्षागृहों (theatres), विश्राम–गृहों तथा अन्य सार्वजनिक भवनों का निर्माण, उनकी स्थापना तथा उनका संधारण ;

(१२) वस्तुओं की दुष्प्राप्यता के समय जीवन–धारण के लिए आवश्यक वस्तुएँ बेचने के निमित्त दुकानों और स्टालों का संगठन तथा संधारण ;

(१३) [ख८][निगम] के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए निवास–गृहों (dwellings) का निर्माण, उनकी खरीद तथा उनका संधारण ;

(१४) [२][निगम] के कर्मचारियों को निर्माण–कार्य के लिए ऐसे निबन्धनों पर और ऐसी शर्तों के अधीन, जो [२][निगम] द्वारा विहित की जाये, ऋण देना ;

(१५) [२][निगम] के कर्मचारियों या उनके किसी वर्ग के कल्याणार्थ कोई अन्य कार्य (measures) करना ;

(१६) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से बिजली या गैस का संभरण करने के लिए किसी संस्थापन (undertaking) को खरीदना या ऐसे किसी संस्थापन को, जो जनता के सामान्य हितों के लिए हो, चलाना या उसे आर्थिक सहायता देना ;

(१७) नगर के भीतर या बाहर व्यक्तियों तथा माल को लाने–ले जाने के लिए राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से ट्राम–वे, बिना पटरी की ट्रामें या मोटर गाड़ियों द्वारा यातायात की सुविधाओं का निर्माण, उनकी खरीद, उनका संगठन, संधारण या प्रबन्ध ;

(१८) धारा १४४ के खंड (२५) में उल्लिखित शिक्षा सम्बन्धी उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों को बढ़ावा देना और नगर के भीतर और बाहर स्थित शिक्षा संस्थानों को अनुदान देना ;

(१६) पुस्तकालयों, संग्रहालयों और कलात्मक वस्तुओं के संग्रहालयों, वनस्पति–विज्ञान विषयक या जीव विज्ञान विषयक, संग्रहालयों की स्थापना और संधारण या उनको सहायता देना तथा उनके लिए भवनों का खरीदना या बनवाना ;

(२०) स्नानागारों, स्नान घाटों, कपड़ा धोने के घरों, तालाबों, कुओं, बाँधों तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य कार्यों का निर्माण, उनकी स्थापना, उनका संधारण या उनके संधारण के लिए अंशदान देना ;

(२१) अशक्तों के लिए सेवाओं या पशुओं के लिए चिकित्सालयों का निर्माण तथा संधारण ;

(२२) ऐसे पशु–पक्षियों को, जिनके कारण अपदूषण (nuisance) पैदा होता हो या हानिकरक कीड़े–मकोड़े (vermins) को नष्ट करना तथा छुट्टे या लावारिस कुत्तों को पकड़ कर बन्द करना (confinement) या उन्हें नष्ट करना ;

(२३) नगर के भीतर पीड़ित व्यक्तियों के सहायतार्थ अथवा लोक–कल्याणार्थ स्थापित किसी सार्वजनिक निधि में अंशदान देना ;

(२४) अभिनन्दन–पत्र प्रदान करना तथा स्वागत करना ;

(२५) पशुचर भूमियों का अर्जन तथा संधारण और प्रजनन के लिए पशुओं के बाड़ों (breeding stud) की स्थापना तथा उनका संधारण ;

(२६) निवासगृहों की व्यवस्था करने में या गृह निर्माण योजनाओं को कार्यान्वित करने में अभिरुचि रखने वाले किसी व्यक्ति, समिति या संस्था को ऋण या अन्य प्रकार की सुविधाएँ देना ;

(२७) गरीबों की सहायता की व्यवस्था करना ;

(२८) गौशालाओं और किराये की गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाले घोड़ों, टट्टुओं और पशुओं के लिए आरोग्यकर पशुशालाओं का निर्माण, क्रय तथा संधारण ;

(२९) भवनों या भूमियों का सर्वेक्षण ;

(३०) किसी ऐसी आपदा के, जिसका प्रभाव नगर की जनता पर पड़ता हो, निवारणार्थ सहायता कार्यों की व्यवस्था करना ;

(३१) धारा १४४ में या इस धारा के अन्य खंडों में निर्दिष्ट उपायों से भिन्न अन्य उपाय करना, जिनसे सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधाओं में विकास होने की संभावना हो ;

(३२) बजट में धनराशि की व्यवस्था होने पर नगर में किसी सार्वजनिक समारोह या मनोरंजन के निमित्त अंशदान देना ;

(३३) पर्यटक–कार्यालय की स्थापना तथा संधारण ;

(३४) [रद्द.][निगम] के कार्य के लिए तथा फालतू समय में मूल्य देकर निजी कामों के लिए प्रेस और कारखाना स्थापित करना तथा उसका संधारण ;

(३५) विष्टा (night soil) और कूड़ा–करकट से कम्पोस्ट खाद तैयार करने का प्रबन्ध करना ;

(३६) व्यापार तथा उद्योग की उन्नति के उपायों की व्यवस्था करना तथा [१][निगम] बैंक की स्थापना करना;

(३७) अपने कर्मचारियों के लिए श्रम–हितकारी केन्द्रों की स्थापना करना और ऐसे कर्मचारियों के किसी संगठन, यूनियन या क्लब का सामान्य प्रगति के लिए अनुदान अथवा ऋण देकर उसके कार्य–कलापों में आर्थिक सहायता देना ;

(३८) [१][निगम] यूनियनों को संगठित करना और उन्हें अंशदान देना ;

(३९) अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की सामाजिक निर्योग्यताओं को दूर करने की व्यवस्था करना ;

(४०) भिक्षा–वृत्ति के नियंत्रण तथा निवारण के लिए कार्यवाही करना ;

(४१) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से पुलिस के ऐसे कर्त्तव्यों का, जो विहित की जायें उनका निर्वहन करने के लिए [ख१०,] [निगम] के पुलिस–बल की स्थापना तथा संधारण ;

(४२) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से किसी ऐसे व्यावसायिक कार्य का भार ग्रहण करना, जिसका उद्देश्य सुख–सुविधा या रोजगार की व्यवस्था करना या उसमें वृद्धि करना अथवा बेकारी को दूर करना हो;

(४३) कोई ऐसा कार्य जिस पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार की स्वीकृति से [१][निगम] या समस्त [१][निगम] के सम्बन्ध में यह घोषणा कर सकती है कि इस धारा में उल्लिखित कृत्यों में से कोई कृत्य को सम्पन्न करना, सम्बद्ध [१][निगम] या [१] [निगमों] का कर्त्तव्य होगा और तदुपरान्त इस अधिनियम के उपबन्ध उस सम्बन्ध में इस प्रकार लागू हों मानो वह धारा १४४ द्वारा आरोपित कोई कर्त्तव्य हो।

११६. [१][निगम] के प्राधिकारियों में कृत्यों का विभाजन–(१) विभिन्न [१][निगम] प्राधिकारियों के कृत्य क्रमशः वे ही होंगे, जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन विशिष्ट रूप से विहित किये जायँ।

(२) यदि ऐसा कोई संशय या विवाद उत्पन्न हो कि अमुक कृत्य जिस किस [१][निगम] प्राधिकारी विशेष का कृत्य है, तो मुख्य नगराधिकारी संशय या विवाद को राज्य सरकार को प्रतिप्रेषित कर सकता है यदि नगर प्रमुख ऐसा आदेश दे तो वह उसे राज्य सरकार को प्रतिप्रेषित करेगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा और उसके बारे में किसी न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी।

११७. [१][निगम] के प्राधिकारियों के कृत्य–(१) उस दशा को छोड़कर जबकि इस अधिनियम में स्पष्टतः अन्यथा व्यवस्था की गयी हो नगर का [१][निगम] प्रशासन [१][निगम] में निहित होगा।

[ख११][(१–क) इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर प्रत्येक कक्ष समिति में, उस क्षेत्र के संबंध में जिसके लिए उसको संगठित किया गया है, निगम की ओर से ऐसी शक्तियाँ और कृत्य निहित होंगे, जिन्हें नियमों द्वारा विहित किया जाय।]

(२) इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर नगर के [१][निगम] प्रशासन का अधीक्षण, [१] [निगम] के लिए और उसकी ओर से कार्यकारिणी समिति में निहित होगा।

(३) विकास समिति, अध्याय १४ में उल्लिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी और उसे उक्त अध्याय में उल्लिखित अधिकार प्राप्त होंगे।

(४) धारा ५ के खंड (ङ) के अधीन नियुक्त समिति के कृत्य और अधिकार वही होंगे जो उसे राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से [१][निगम] द्वारा सौंपे जायँ।

(५) नगर प्रमुख के सामान्य नियंत्रण और निदेश के, तथा जहाँ कहीं भी इसमें स्पष्टतः ऐसा निदेश किया गया हो, यथास्थिति, [१][निगम] या कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के अधीन रहते हुए, तथा इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन आरोपित अन्य समस्त प्रतिबन्धों, परिसीमाओं तथा शर्तों के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ कार्यपालिका के अधिकार मुख्य नगराधिकारी में निहित होंगे, जो उन समस्त कर्त्तव्यों का पालन तथा उन समस्त अधिकारों का प्रयोग भी करेगा, जो विशिष्ट रूप से उस पर आरोपित किये गये हों या उसे दिये गये हों।

(६) उपधारा (५) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मुख्य नगराधिकारी–

(क) इस अधिनियम के तथा इसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये मुख्य नगर लेखा परीक्षक तथा उनके तुरन्त अधीनस्थ [१][निगम] पदाधिकारियों और सेवकों को छोड़कर समस्त [१][निगम] पदाधिकारियों तथा सेवकों के कर्त्तव्य विहित करेगा और उसके कार्यों तथा कार्यवाहियों का निरीक्षण और नियंत्रण करेगा और उक्त पदाधिकारियों तथा सेवकों की सेवा तथा विशेषाधिकारों और भत्तों से सम्बद्ध समस्त प्रश्नों का निस्तारण करेगा।

(ख) किसी आपातकाल (emergency) में जनता की सेवा या सुरक्षा के लिए या [ख१२.][निगम] की सम्पत्ति की र क्षा के लिए ऐसी तात्कालिक कार्यवाही करेगा जो आपात को देखते हुये अपेक्षित हो, भले ही ऐसी कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य [१][निगम] प्राधिकारी या राज्य सरकार की स्वीकृति, अनुमोदन या प्राधिकार के बिना न की जा सकती हो ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति और [१][निगम] को तत्काल उस कार्यवाही को सूचना देगा, जो उसने की है और साथ ही उसे ऐसी कार्यवाही करने के कारण भी बतायेगा। मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति को यह भी सूचित करेगा कि ऐसी कार्यवाही के फलस्वरूप उस पर कितना धन, यदि कोई हो, जिसकी बजट अनुदान में व्यवस्था नहीं है, खर्च हुआ है अथवा खर्च होने की संभावना है :

और प्रतिबन्ध यह भी है, कि मुख्य नगराधिकारी इस खंड के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग न करेगा, यदि उस कार्य विशेष को करने में बजट अनुदान के अतिरिक्त किसी ऐसी धनराशि के व्यय होने की संभावना हो, जो—

(क) १०,००० रु० से या जब उस कार्य के लिए नगर प्रमुख की सहमति प्राप्त हो तो २०,००० रु० से अधिक हो, तो

(ख) संबद्ध वित्तीय वर्ष में इस खंड के अधीन बजट अनुदान से अधिक पहले से व्यय हो चुकी किसी धनराशि के सहित ५०,००० रू० से या उस कार्यवाही के लिए नगर प्रमुख की सहमति प्राप्त हो, १,००,००० रु० से अधिक हो।

११८. मुख्य नगर लेखा परीक्षक के अधिकार तथा कर्त्तव्य—मुख्य नगर लेखा–परीक्षक—

(क) ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन निर्देश हो तथा [१][निगम] निधि के लेखों के परीक्षण के संबंध में ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो [१][निगम] अथवा कार्यकारिणी समिति द्वारा उससे अपेक्षित हो ;

(ख) कार्यकारिणी समिति द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अधीन रहते हुए अपने तुरन्त अधीनस्थ लेखा परीक्षक तथा सहायक लेखा परीक्षक, लिपिक तथा कर्मचारियों के कर्त्तव्यों को नियत करेगा ; तथा

(ग) कार्यकारिणी समिति या की आज्ञाओं के अधीन रहते हुये उक्त लेखा परीक्षकों, सहायक लेखा परीक्षकों, लिपिकों तथा कर्मचारियों का निरीक्षण तथा नियंत्रण करेगा तथा नियमों के अधीन रहते हुये उक्त लेखा परी क्षकों, सहायक लेखा परीक्षकों, लिपिकों तथा कर्मचारियों की सेवाओं, प्रतिफलों और विशेषाधिकारों से सम्बद्ध समस्त प्रश्न का निस्तारण करेगा।

११९. कृत्यों का प्रतिनिधान—(१) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा इसके अधीन बने नियमों के अधीन रहते हुये तथा ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये, [१][निगम] द्वारा किये जायँ—

(क) [१][निगम] कार्यकारिणी समिति को या मुख्य नगराधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों में से किन्हीं ऐसे कृत्यों को प्रतिनिधानित कर सकती है जो अनुसूची १ के भाग (क) में निर्दिष्ट कृत्यों से भिन्न हों ;

(ख) कार्यकारिणी समिति मुख्य नगराधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों में से किन्हीं ऐसे कृत्यों को प्रतिनिधानित कर सकेगी जो अनुसूची १ के भाग (ख) में निर्दिष्ट कृत्यों से भिन्न हों ;

(ग) विकास समिति मुख्य नगराधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपेन कृत्यों में से किन्हीं ऐसे कृत्यों को प्रतिनिधानित कर सकेगी, जो अनुसूची १ के भाग (ग) में निर्दिष्ट कृत्यों से भिन्न हों ;

(घ) मुख्य नगराधिकारी किसी [ख13.][निगम] कर्मचारी को अपने कृत्यों में से किसी ऐसे कृत्य को प्रतिनिधानित कर सकेगा जो अनुसूची १ के भाग (घ) में निर्दिष्ट कृत्यों से भिन्न हों ;

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार समय–समय पर सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा अनुसूची १ के भाग क, भाग ख, भाग ग अथवा भाग घ में उल्लिखित किसी कृत्य को प्रतिनिधान्य कृत्य के रूप में, अथवा ऐसे किसी कृत्य को, जिसका उसमें उल्लेख नहीं है, अप्रतिनिधान्य कृत्य के रूप में घोषित कर सकती है तथा इस प्रकार की घोषणा के उपरान्त वह उपर्युक्त कृत्ये जैसी भी स्थिति हो, प्रतिनिधानित किया जा सकेगा अथवा प्रतिनिधान्य कृत्य के रूप में न रह जायगा, मानो अनुसूची १ में उसका कोई उल्लेख नहीं है अथवा उक्त सूची में उसका उल्लेख है।

(२) यदि मुख्य नगराधिकारी द्वारा कृत्यों को प्रतिनिधानित किया जाय, तो उस आज्ञा की, जिसके द्वारा प्रतिनिधान किया जाय, एक प्रति कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ रखी जायगी।

(३) मुख्य नगराधिकारी द्वारा इस अधिनियम की इस धारा के अधीन उसके किसी कृत्य का प्रतिनिधान होते हुये भी मुख्य नगराधिकारी उक्त कृत्य के यथाविधि सम्पादन के लिये उत्तरदायी बना रहेगा।

१२०. मुख्य नगराधिकारी द्वारा अन्य विधियों के अधीन [१][निगम] के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन—(१) तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि द्वारा [१][निगम] को दिये गये, उस पर आरोपित किये गये या उसमें निहित कोई भी अधिकार, कर्त्तव्य और कृत्य ऐसी विधि के उपबन्धों तथा ऐसे प्रतिबन्धों, सीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुये, जो [१][निगम] द्वारा आरोपित की जाय, मुख्य नगराधिकारी द्वारा प्रयुक्त, संपादित या निर्वहित किये जायँगे।

(२) मुख्य नगराधिकारी इस सम्बन्ध में किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, लिखित आज्ञा द्वारा जिसकी एक प्रति सूचनार्थ कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखी जाएगी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक से भिन्न किसी भी [१][निगम] पदाधिकारी को मुख्य नगराधिकारी के नियंत्रणाधीन किसी अधिकार, कर्त्तव्य या कृत्य को, अपने पुनरीक्षण तथा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए जिन्हें आरोपित करना वह उचित समझे प्रयेाग, सम्पादन तथा निर्वहन करने का अधिकार दे सकता है।

१२१. [१][निगम], कार्यकारिणी समिति से कार्यवाहियों, आदि के अवतरण मंगा सकती है—[१][निगम] किसी भी समय इस अधिनियम के अधीन बनी किसी समिति या उपसमिति की कार्यवाहियों के अवतरण मँगा सकती है और वह किसी ऐसे विषय से सम्बद्ध या संसक्त विवरणी, विवरण–पत्र, लेखा या रिर्पोट भी मँगा सकेगी जिसमें कार्यवाही करने के लिये ऐसी समिति या उपसमिति को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अधिकार प्राप्त हों और यथास्थिति मुख्य नगराधिकारी या उप–समिति द्व ारा ऐसी किसी भी अधियाचन की पूर्ति अनुचित विलम्ब किये बिना की जायगी।

१२२. मुख्य नगराधिकारी से लेख्य विवरणी तथा प्रतिवेदन, आदि प्रस्तुत कराने के सम्बन्ध में [१][निगम] के अधिकार—(१) [१][निगम] अथवा कार्यकारिणी समिति, किसी भी समय मुख्य नगराधिकारी को आदेश दे सकती है कि वह—

(क) किसी ऐसे अभिलेख, पत्र–व्यवहार, योजना या अन्य लेख्य को प्रस्तुत करे जो मुख्य नगराधिकारी के रूप में उसके कब्जे या नियंत्रण में हो या जो उसके कार्यालय अथवा उसके अधीनस्थ किसी [१][निगम] पदाधिकारी या किसी [१][निगम] पदाधिकारी या किसी सेवक के कार्यालय की पत्रावलियों में अभिलिखित हो ;

(ख) इस अधिनियम के प्रशासन या नगर के स्थानीय प्रशासन विषयक किसी मामले से सम्बद्ध या संसक्त कोई विवरणी, योजना–तखमीना, विवरण–पत्र, लेखा या आंकड़े प्रस्तुत करे ;

(ग) इस अधिनियम के प्रशासन या नगर के स्थानीय प्रशासन से सम्बद्ध या संसक्त किसी विषय में स्वयं एक प्रतिवेदन प्रस्तृत करे या अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी से एक प्रतिवेदन प्राप्त करके उसे अपनी टिप्पणी के साथ प्रस्तुत करे।

(२) मुख्य नगराधिकारी ऐसी प्रत्येक अधियाचना की पूर्ति करेगा जब तक कि उसके मतानुसार उसकी तत्काल पूर्ति करना, [१] [निगम] या जनता के हितों के प्रतिकूल न हों, जिस दशा में वह उक्त आशय की लिखित रूप से घोषणा करेगा और यदि [१] [निगम] या कार्यकारिणी समिति द्वारा आदेश दिया जाय तो वह प्रश्न नगर प्रमुख को भेज देगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

१२३. आवश्यक व्यय के सम्बन्ध में अधिकारों का प्रयोग [१][निगम] की स्वीकृति के अधीन होगा–इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किसी [१][निगम] प्राधिकारी को दिये गये किसी अधिकार के प्रयोग या उस पर आरोपित किसी ऐसे कर्त्तव्य का सम्पादन, जिसमें कोई व्यय होना हो, उस दशा को छोड़कर जब कि इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन स्पष्टतः अन्यथा व्यवस्था हो, निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन होगा :

(क) ऐसे व्यय के लिये, जहाँ तक से उक्त अधिकार के प्रयोग या कर्त्तव्य का पालन से सम्बद्ध वित्तीय वर्ष में करना हो, बजट अनुदान के अन्तर्गत व्यवस्था की गई हो, और

(ख) यदि ऐसे अधिकार का प्रयोग या कर्त्तव्य के पालन में उक्त वित्तीय वर्ष की किसी अवधि के लिये या उसकी समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय कोई व्यय होना हो, या होने की सम्भावना हो तो ऐसे व्यय के लिए दायित्व ग्रहण करने के पूर्व [१][निगम] की स्वीकृति ले ली गयी हो।

१२४. नियम बनाने का अधिकार–(१) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :

(क) धारा ११४ के खंड (१) के अधीन सीमासूचक चिन्हों के विवरण तथा स्थल के अनुमोदन की रीति ;

(ख) उन स्थितियों में, जिनके निमित्त उक्त अधिनियम में कोई विशिष्ट व्यवस्था न की गयी हो, धारा ११४ और ११५ में निर्दिष्ट कर्त्तव्यों या दायित्वों की पूर्ति से सम्बद्ध रीति तथा प्रक्रिया ;

(ग) नगर के स्थानीय प्रशासन की कार्यकारिणी समिति के अधीक्षण के अधिकारों से सम्बद्ध प्रक्रिया ;

(घ) वह रीति, जिसके अनुसार मुख्य नगराधिकारी द्वारा कार्यपालिका अधिकारों का प्रयोग किया जायगा ;

(ङ) धारा ११७ की उपधारा (६) के खंड (क) में निर्दिष्ट [१][नगर निगम] के पदाधिकारियों तथा सेवकों के कर्त्तव्य, निरीक्षण (supervision) और नियंत्रण से सम्बद्ध विषय ;

(च) मुख्य नगराधिकारी के अधीनस्थ पदाधिकारियों तथा सेवकों के कृत्यों के विषय में संशयों तथा विवादों का निर्णय ;

(छ) धारा ११६ तथा १२० की उपधारा (२) के अधीन मुख्य नगराधिकारी के अधिकारों को किसी अन्य पदाधिकारी को प्रतिनिधित्व किये जाने से सम्बद्ध विषय ;

(ज) धारा १२० की उपधारा (२) के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा अपने अधिकारों के प्रतिनिधानित करने से सम्बद्ध प्रक्रिया ;

(झ) रीति, जिसके अनुसार धारा १२१ और १२२ के अधीन कार्यवाहियों या अन्य लेख्यों या पत्रादि से अवतरण प्रस्तुत किये जाने की अधियाचना की जाय;

(ज) ऐसी अधियाचना की पूर्ति विषयक प्रक्रिया ;

(ट) रीति, जिसके अनुसार धारा १२२ की उपधारा (१) के अधीन लेख्यों तथा अन्य पत्रादि को प्रस्तुत करने का प्रश्न अन्तिम रूप से निर्णय के लिये नगर प्रमुख को भेजा जायगा;

(ठ) रीति, जिसके अनुसार धारा १२२ की उपधारा (२) के अधीन मुख्य नगराधिकारी की घोषणा [१][निगम] को प्रेषित की जायगी ;

(ड) [१][निगम] या मुख्य नगराधिकारी का सामान्यतः किसी ऐसे विषय में पथ–प्रदर्शन जो इस अध्याय के अधीन उनके कर्त्तव्यों के पालन, कृत्यों का सम्पादन या अधिकारों के प्रयोग से संसक्त हो, और

(ढ) ऐसे विषय जो इस अध्याय के अधीन विहित किये जाने वाले हों, या किये जायँ।

———

ख१. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख२. उ०प्र० अधिनियम संख्या १२ सन् १९९४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख३. उ०प्र० अधिनियम संख्या १२ सन् १९९४ द्वारा शब्दों ''सार्वजनिक तथा निजी प्रयोजनों के निमित्त'' के स्थान पर प्रतिस्थापित
ख४. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा जोड़ा गया
ख५. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा प्रतिस्थापित।
ख६. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा अन्तःस्थापित।
ख७. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा शब्द ''सार्वजनिक पार्कों, उद्यानों, खेल के मैदानों'' निकाल दिये गये।
ख८. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा प्रतिस्थापित।
ख९. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख१०. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा ''महापालिका'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
ख११. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा अन्तःस्थापित।
ख१२. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा ''निगम'' रखा गया।
ख१३. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा प्रतिस्थापित।